भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न स. 2442

उत्तर देने की तारीख 13.03.2025

आंध्र प्रदेश में डीएजेजीयूए

2442. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के अंतर्गत 18 जिलों के 6.55 लाख आदिवासियों को कवर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) डीएजेजीयूए योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा अपने संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किए गए उपायों और लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है तथा उन्हें किस प्रकार प्राप्त किया गया है तथा किस प्रकार बुनियादी ढांचे और अन्य कमियों को पूरा किया जाएगा;

(घ) क्या उक्त योजना में आजीविका के अवसरों पर भी ध्यान दिया गया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत किसी परियोजना में समय और लागत में वृद्धि हुई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(च) विलंबित योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उन्हें कब तक पूरा किया जाएगा?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) और (ख): धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आंध्र प्रदेश में अजजा आबादी के साथ जिले-वार कवरेज **अनुलग्नक- I** पर है।

(ग): इस अभियान में 17 संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य 5 वर्षों में 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में 63,843 गांवों में बुनियादी ढांचे के अंतरों को संतृप्त करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करना और आजीविका के अवसर प्रदान करना है। प्रत्येक संबंधित मंत्रालय को अभियान के तहत बजट और लक्ष्य आवंटित किए गए हैं और वह सौंपे गए उपाय को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार है। अभियान का उद्देश्य अभिसरण और आउटरीच (पहुंच) के माध्यम से संतृप्ति प्राप्त करना है। अभियान के तहत विभिन्न उपायों और लक्ष्यों का मंत्रालय-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है। हालांकि, किसी विशेष राज्य में अभियान के तहत वास्तविक प्रगति अनुमोदित मानदंडों के अनुसार संबंधित उपायों के विशिष्ट दिशा-निर्देशों और योजना दिशानिर्देशों के संदर्भ में राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की पात्रता मानदंडों के अधीन है। चूंकि अभियान हाल ही में 2 अक्टूबर, 2024 को शुरू किया गया है, आंध्र प्रदेश राज्य में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1 आवास को स्वीकृति दी है, पेयजल आपूर्ति के लिए 669 गांवों हेतु कार्य आदेश जारी किया गया है और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 6 जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र (टीएमएमसी), जनजातीय स्कूलों/आवासीय स्कूलों आदि के लिए 175 परियोजनाएं, 1 सीओसी और एफआरए सेल को अनुमोदन दिया है।

(घ): यह अभियान कौशल विकास के माध्यम से आजीविका के अवसरों पर भी ध्यान देता है, जनजातीय बहुउद्देश्यीय विपणन केंद्रों (टीएमएमसी) के माध्यम से विपणन की सुविधा प्रदान करता है, जनजातीय होम स्टे को बढ़ावा देता है और एफआरए पट्टा धारकों के लिए कृषि, पशुपालन और मत्स्यपालन को मजबूत करता है।

(ङ) और (च): यह अभियान 5 वर्ष की अवधि के लिए है। आज तक, अभियान के कार्यान्वयन में किसी भी प्रकार की देरी या लागत में वृद्धि की बात संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा इस मंत्रालय के संज्ञान (ध्यान) में नहीं लाई गई है।

अनुलग्नक-I

"आंध्र प्रदेश में डीएजेजीयूए" के संबंध में श्री बालाशौरी वल्लभनेनी द्वारा दिनांक 13.03.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2442 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आंध्र प्रदेश में अजजा आबादी के साथ जिले-वार कवरेज

क्र.सं.	**जिला**	**कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या**
1	अल्लूरी सीतारमा राजू	356292
2	अनकापल्ली	13435
3	अनंतपुर	4722
4	अन्नमय्या	9924
5	चित्तूर	375
6	एलुरु	47437
7	काकीनाडा	3952
8	कुरनूल	2890
9	नांदयाल	1762
10	एनटीआर	9514
11	पालनाडु	11195
12	पार्वतीपुरम मन्यम	134020
13	प्रकाशम	10424
14	श्री सत्य साई	1707
15	श्रीकाकुलम	35646
16	तिरुपति	1675
17	विजयनगरम	7307
18	वाई.एस.आर.	3173
	कुल	**655450**

अनुलग्नक-II

"आंध्र प्रदेश में डीएजेजीयूए" के संबंध में श्री बालाशौरी वल्लभनेनी द्वारा दिनांक 13.03.2025 को उठाए गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2442 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत मंत्रालय-वार विभिन्न उपायों और लक्ष्यों का ब्यौरा

क्र.सं.	मंत्रालय	उपाय/ (योजना)	लक्ष्य
1	ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी)	पक्के मकान- (पीएमएवाई)-ग्रामीण	20 लाख मकान
		सम्पर्क सड़क - (पीएमजीएसवाई)	25000 किमी सड़क
2	जल शक्ति मंत्रालय	जल आपूर्ति-जल जीवन मिशन (जेजेएम)	(i) हर पात्र गांव (ii). 5,000 बस्तियाँ $\leq$ 20आवास
3	विद्युत मंत्रालय	घरों का विद्युतीकरण- (नवस्वरूपित वितरण क्षेत्र योजना-आरडीएसएस)	प्रत्येक अविद्युतीकृत आवास और असंबद्ध सार्वजनिक संस्थान
4	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	ऑफ-ग्रिड सोलर कनेक्शन नई सौर ऊर्जा योजना	(i) प्रत्येक अविद्युतीकृत आवास और सार्वजनिक संस्थान जो ग्रिड के माध्यम से कवर नहीं किए गए हैं।
5	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	सचल चिकित्सा इकाइयाँ- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	1000 एमएमयू तक
		आयुष्मान कार्ड - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)-एनएचए	अभियान के अंतर्गत प्रत्येक पात्र आवास को शामिल किया गया
6	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	एलपीजी कनेक्शन-(पीएम उज्ज्वला योजना)	25 लाख आवास
7	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	आंगनबाडी केन्द्रों की स्थापना - पोषण 2.0	8000 (2000 नये सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र) और 6000 का सक्षम एडब्ल्यूसी में उन्नयन)
8	शिक्षा मंत्रालय	छात्रावासों का निर्माण-समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए)	1000 छात्रावास
9	आयुष मंत्रालय	पोषण वाटिकाएँ- राष्ट्रीय आयुष मिशन	700 पोषण वाटिकाएँ
10	दूरसंचार विभाग	4जी/5जी नेटवर्क सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (डीओटी)	5000 गांव
11	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	कौशल भारत मिशन (मौजूदा योजनाएँ)/प्रस्ताव	जनजातीय जिलों में कौशल केंद्र
			1000 वीडीवीके, जनजातीय समूह आदि

12	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	सहयोग से जनजातियों के लिए डिजिटल पहलें	पीएम गतिशक्ति पोर्टल के साथ मंत्रालय विशिष्ट पोर्टलों का विकास और एकीकरण
13	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना - कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की कई योजनाएँ	एफआरए पट्टा धारक (~2 लाख लाभार्थी)
14	मत्स्य पालन विभाग	मछली पालन सहायता-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)	10,000 समुदाय और 1,00,000 व्यक्तिगत लाभार्थी
	पशुपालन एवं डेयरी विभाग	पशुधन पालन- राष्ट्रीय पशुधन मिशन	8500 व्यक्तिगत/समूह लाभार्थी
15	पंचायती राज मंत्रालय	एफआरए पर क्षमता निर्माण- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)	एफआरए से निपटने वाले उप मंडल, जिला और राज्य स्तर पर सभी ग्राम सभाएं और संबंधित अधिकारी
16	पर्यटन मंत्रालय	जनजातीय गृह-आवास (होम स्टे) - स्वदेश दर्शन	1000 जनजातीय गृह-आवासों (होम स्टे) के लिए 5 लाख रुपये प्रति इकाई (नए निर्माण के लिए), 3 लाख रुपये (नवीनीकरण) और ग्राम समुदाय की आवश्यकता के लिए 5 लाख रुपये तक की सहायता ।
17	जनजातीय कार्य मंत्रालय	डीएजेजीयूए	अन्य उपायों को शामिल करके एससीए का दायरा जनजातीय विकास/पीएमएएजीवाई तक बढ़ाना#
#100 जनजातीय बहुउद्देश्यीय विपणन केंद्र, आश्रम विद्यालयों, छात्रावासों, सरकारी/राज्य जनजातीय आवासीय विद्यालयों की अवसंरचना में सुधार, सिकल सेल रोग (एससीडी) के लिए सक्षमता केंद्र और परामर्श सहायता, एफआरए और सीएफआर प्रबंधन उपायों के लिए सहायता, एफआरए सेल की स्थापना और शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जनजातीय जिलों के लिए प्रोत्साहन के साथ परियोजना प्रबंधन निधियां।			

अभियान के अंतर्गत योजनाएं मंत्रिमंडल द्वारा संबंधित योजनाओं के अनुमोदन के अधीन हैं।

*****